पत्र संख्या–14/डी0एल0ए0 कटिहार (सं0स0)–165/2013– पटना–15, दि0–

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू–अर्जन शाखा)

–: अधिसूचना :–

संख्या– भू–अर्जन,कटिहार –2380/रा० दिनांक– 26-09-13

चूँकि बिहार राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि मौजा शिशिया थाना नं० 192 अंचल बरारी जिला कटिहार में सार्वजनिक परियोजनार्थ मौजा शिशिया पंचायत अन्तर्गत मुसहरी टोला से मुख्य सड़क तक सम्पर्क सड़क निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त ग्राम शिशिया थाना नं० 192 के भीतर एक भू–खण्ड अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश 0.30½ एकड़ (साढ़े तीस डिसमल) के बराबर होता है, जिसका खेसरा सं० निम्नांकित है – 531,581,580,652 एवं 651 का अंश है एवं जिसका चौहद्दी निम्न प्रकार है :–

उत्तर :– मौजा शिशिया थाना नं० 192 का सर्वे खेसरा नं० 532,576,577,580,652 एवं 651
पूरब :– पक्की सड़क।
दक्षिण :– मौजा शिशिया थाना नं० 192 का सर्वे खेसरा नं० 531,581,580,652 एवं 651
पश्चिम :– मौजा शिशिया थाना नं० 192 का सर्वे खेसरा नं० 533

यह अधिसूचना बिहार अधिनियम 11, 1961 द्वारा (यथा संशोधित)अधिनियम 1–1984 की धारा –4 के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिसका इससे सम्बन्ध हो।

भूमि का नक्सा भू–अर्जन पदाधिकारी, कटिहार के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

बिहार सरकार भू–अर्जन पदाधिकारी, कटिहार एवं अंचल पदाधिकारी बरारी और उनके कर्मचारी तथा इस परियोजना के अरम्भिक अनुसंधार में तत्ससमय लगे उनके कर्मचारी भूमि में प्रवेश कर भूमि का सर्वेक्षण करें तथा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) मे यथा उपबंधित या विनिदिृष्ट अपने कार्यो के समुचित निष्पादन के लिए अपेक्षित अन्य सभी कार्य करने हेतु प्राधिकृत करती है।

और चूंकि बिहार राज्यपाल की राय है कि उक्त भूमि कृषि योग्य है तथा इसकी तुरन्त अर्जन आवश्यक है इसलिए उस अधिनियम की धारा 17 के उपधारा (4) के अधीन आदेश दिया जाता है, कि उस अधिनियम की धारा 5 (क) के उपबंध उस भूमि पर लागू नहीं होता है।

जिला भू० अर्जन पदाधिकारी
कटिहार

अपर समाहर्त्ता
कटिहार

समाहर्त्ता
कटिहार

बिहार राज्यपाल के आदेश से

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक 2380/रा०/भू–अर्जन दिनांक 26-09-13

प्रतिलिपिः– निदेशक,भू–अर्जन, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, बिहार पटना को सूचनार्थ। उनसे अनुरोध है कि दो दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशनोपरान्त प्रकाशन सूचना जिला भू–अर्जन कटिहार को दी जाय।

प्रतिलिपिः– उप समाहर्त्ता प्रभारी, जिला गजट प्रशाखा, कटिहार को गजट के असाधारण अंक में प्रका–शनोपरान्त 5–5 प्रति कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अनुमंडल पदाधिकारी, कटिहार/अंचल पदाधिकारी, बरारी/मुखिया ग्राम पंचायत राज शिशिया को सूचनापट्ट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अधियाची पदाधिकारी को सूचनार्थ।

प्रतिलिपिः– हितवद्य रैयतों को सूचनार्थ प्रेषित।

26/9/13

सरकार के अवर सचिव